

असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] No. 89] दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2013/ज्येष्ठ 1, 1935 DELHI, WEDNESDAY MAY 22, 2013, JYAISTHA 1, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 43 | N. C. T. D. No. 43

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

बाट एवं माप विभाग अधिस्चना

दिल्ली, 22 मई, 2013

सं. फा. 7(7)डब्ल्यू एण्ड एम./प्रशासन/2011/339-351.—विधिक माप अधिनियम 2009 (2010 का !) की धारा 14 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 2 (क्यू) के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये श्री जावेद आलम खान और श्री सुदर्शन को विधिक माप पद्धित अधिकारी (ग्रेड-!) को उस समय तक, जब तक वह बाट एवं माप विभाग में निरीक्षक/उपनिरीक्षक/माप पद्धित अधिकारी के पद पर कार्यरत है या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, भुपेन्द्र सिंह, सहायक नियन्त्रक (विधिक माप पद्धति)

DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES NOTIFICATION

Delhi, the 22nd May, 2013

No. 7(7)/W&M/Admn/2011/339&351.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Legal Metrology Act 2009 (1 of 2010) and read with Section 2(q) of the said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Javed Alam Khan and Sh. Sudarshan as Legal Metrology Officer (Gr.-I) for the purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Inspector/Sub-Inspector/Legal Metrology Officer in the Weights and Measures Department or till further order, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the

Lieutenant Governor of National Capital of Territory of Delhi, BHUPINDER SINGH, Asstt, Controller (Legal Metrology)

राजस्व विभाग अधिसूचनाएं

दिल्ली, 22 मई, 2013

सं. 1(748)/जी.ए,/स्थ./उपा./रा.श./2013/355.— श्री अरूण कुमार झा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री अरूण कुमार गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री व्याप्त वार्षिया वरणजीत पप्त चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), जिन्होंने 02 माह के लिए आयोजित जिला उत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में राजस्व विभाग में कार्य ग्रहण कर लिया है क्रमशः जिला उत्तर-पश्चिम, दिक्षण-पश्चिम, मध्य, दिक्षण-पश्चिम, उत्तर और नई दिल्ली में तहसीलदार का कार्यभार 17-05-2013 से 30-05-2013 तक संभालेंगे। अत:—

1. सं. 1(748)/जी.ए,/स्थ./उपा./रा.श./2013.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनयम 1887 की (उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनयम सं. 17), द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री अरूण कुमार झा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) श्री अरूण कुमार गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धमेंन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शिक्तयां प्रदान की जाती हैं।

2. सं. 1(748)/जी.ए./स्थ./उपा./रा.श./2013.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर-प्रदेश मू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री अरूण कुमार झा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) श्री अरूण कुमार गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धमेंन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

3. सं. 1(748) जी.ए. रस्थ. उपा. रा.श. / 2013.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डीं अधिनियम 1948 (1948 की अधिनियम सं. 50) की धारा 14 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री अरूण कुमार झा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) श्री अरूण कुमार गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत है अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शिक्तयों व अधिनियम के अंतर्गत चकवंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. सं. 1(748)/जी.ए./स्थ./उपा./रा.श./2013.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनयम 1954 (1954) की अधिनयम सं 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री अरूण कुमार झा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) श्री अरूण कुमार गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, किथत क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शिक्तयां प्रदान की जाती हैं।

REVENUE DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 22nd May, 2013

F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013/355.—Consequent upon joining in Revenue Department for 2 months district training programme Shri Arun Kumar Jha, Shri Arun Gupta, Shri Vishnu Kant Tiwari, Shri Dharmendra Kumar, Ms. Tapasya R. Choudhary, Shri Vadodaria Karanjit P., Shri Tanvir Ahmad and Shri Lekhraj, Danics Probationers shall perform various functions as Tehsildar in District North, North-West, South-West, Central, South, South-West, North and New Delhi respectively w.e.f. 17-05-2013 to 30-05-2013. Now, therefore,

1. F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased

to confer upon (1)Shri Arun Kumar Jha, Danics robationer) (2) Shri Arun Gupta, Danics (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, Danics (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, Danics (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, Danics (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., Danics (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad Danics (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, Danics (Probationer) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act within the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

2. F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to (1)Shri Arun Kumar Jha, Danics confer upon (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, Danics (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, Danics (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, Danics (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, Danics (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., Danics (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad Danics (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, Danics (Probationer) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act within the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

3. F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1)Shri Arun Kumar Jha, Danics (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, Danics (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, Danics (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, Danics (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, Danics (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., Danics (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad Danics (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, Danics (Probationer) as Consolidation Officers within the said territory, for the purpose of the aforsaid Act, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

4. F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013.—In exercise of the powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to confer upon (1)Shri Arun Kumar Jha, Danics (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, Danics (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, Danics

(Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, Danics (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, Danics (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., Danics (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad Danics (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, Danics (Probationer) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act within the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

सं. 1(748)/जी.ए./स्थ./उपा./रा.श./2013/356.— श्री अरूण कुमार झा. दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री अरूण कुमार गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री धमेंन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री वडोदारिया पी. दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), जिन्होंने 02 माह के लिए आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में राजस्व विभाग में कार्य ग्रहण कर लिया है क्रमशः जिला उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर और नई दिल्ली में उप-दण्डिषिकारी का कार्यभार 31-05-2013 से 14-06-2013 तक संभालेंगे। अतः-

1. सं. 1(748)/जी.ए./स्थ./उपा./रा.श./2013.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागु पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम सं. 17), की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (1) श्री अरूण कुमार ज्ञा. दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) अरूण कुमार गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), को कथित क्षेत्र में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

2. सं. 1(748)/जी.ए./स्थ./उपा./रा.श./2013.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर-प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (1) श्री अरूण कुमार झा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) अरूण कुमार गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी, दानिक्स

(परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), को कथित क्षेत्र में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभातने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पद कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

3. सं. 1(748)/जी.ए./स्थ./उपा./रा.श./2013.— दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा (1) श्री अरूण कुमार झा. दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) अरूण गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), को कथित क्षेत्र में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियों का अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

4. सं. 1(748)/जी.ए./स्व./उपा./रा.श./2013.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम सं 2) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये (1) श्री अरूण कुमार झा. दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) अरूण गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), को कथित क्षेत्र में उस समय तक कलैक्टर की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

5. सं. 1(748)/जी.ए./स्थ./उपा./रा.श./2013.— दिल्ली मूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायकु के कार्यों को निर्वाहन करने के लिए (1) श्री अरूण कुमार झा. दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) अरूण गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी,

दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्था), (5) कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), को कथित क्षेत्र में उस समय तक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वंह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

6. सं. 1(748)/जी.ए./स्थ./उपा./रा.श./2013.— पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजाधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए (1) श्री अरूण कुमार झा. दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) अरूण गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), को कथित क्षेत्र में उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के रूप में अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

7. सं. 1(748)/जी.ए./स्थ./उपा./रा.श./2013.— दिल्ली भूमि जोत (सीमांवंदी) अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम सं. 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हो के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये (1) श्री अरूण कुमार झा. दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) अरूण गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर. चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), को कथित क्षेत्र में अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, मुहम्मद ए. आबिद, अति. सचिव (राजस्व) F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013/356.—Consequent upon joining in Revenue Department for 2 months district training programme Shri Arun Kumar Jha, Shri Arun Gupta, Shri Vishnu Kant Tiwari, Shri Dharmendra Kumar, Ms. Tapasya R. Choudhary, Shri Vadodaria Karanjit P., Shri Tanvir Ahmad and Shri Lekhraj, Danics Probationers shall perform various functions as Sub-Divisional Magistrate in District North, North-West, South-West, Central South, South-West, North and New Delhi respectively w.e.f. 31-05-2013 to 14-06-2013. Now, therefore.

1. F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887), as enforced in the National Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon (1) Shri Arun Kumar Jha, Danics (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, Danics (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, Danics (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, Danics (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, Danics (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., Danics (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad Danics (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, Danics (Probationer) the power of Assistant Collector, 1st Class under the said Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

 F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Act No. III of 1901) as extended to the NationalCapitalTerritory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) Shri Anın Kumar Jha, Danics (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, Danies (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, Danies (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, Danics (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, Danics (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., Danics (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad Danics (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, Danics (Probationer) as Assistant Collector, Ist Class under the said Act in the said territory, and confers upon him all the powers of Collector under the said Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

3 F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) Shri Arun Kumar Jha, Danics (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, Danics (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, Danics

(Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, Danics (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, Danics (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., Danics (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad Danics (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, Danics (Probationer) as Assistant Collector, 1st Class and Revenue Assistant in the said territory and confers upon him all the powers of Collector under the said Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

4. F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013.-In exercise of the powers conferred by section 4 read with clause 6 of section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873 (Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints (1) Shri Arun Kumar Jha, Danics (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, Danics (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, Danics (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, Danics (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, Danics (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., Danics (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad Danics (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, Danics (Probationer) as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

5. F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013.—In exercise of the powers conferred by clause 19-A of section3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers (1) Shri Arun Kumar Jha, Danics (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, Danics (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, Danics (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, Danics (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, Danics (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., Danics (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad Danics (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, Danies (Probationer) as Assistant Collector, Ist class to perform the funtion of Revenue Assistant described in the Schedule IAS appended to the said Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

6. F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Frgmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint (1) Shri Arun Kumar Jha, Danics (Probationer) (2) Shri Arun

2259 89113-2

Gupta, Danics (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, Danics (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, Danics (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, Danics (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., Danics (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad Danics (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, Danics (Probationer) as Settlement Officer (Consolidation) for the purpose of the aforsaid Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders wichever is earlier.

7. F. No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of the section 2 of the Delhi Land Holding (Ceiling) Act, 1960 (F. No. 24 of 1960) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize (1) Shri Arun Kumar Jha,

Danics (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, Danics (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, Danics (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, Danics (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, Danics (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., Danics (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad Danics (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, Danics (Probationer) to perform the funtion of the Competent Authority under the said Act within the whole areas of the said territory to which the provision of the said act are applicable w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MOHAMMED A. ABID, Addl. Secy. (Revenue)